न्यायालय जिला कलक्टर, सलूम्बर जिला सलूम्बर(राज.)

पीठासीन अधिकारी जसमीत सिंह संधू आई.ए.एस.

प्रकरण स. : 02/2023 : जीसीएमएसः 2023/2 प्रार्थना पत्र (रेफरेन्स)

1. श्री केसर सिंह पिता भेरूसिंह राजपूत उम्र 68 बालिंग निवासी बगुरवा भुतिया तह.सराडा जिला सलूम्बर,
2. श्री लक्ष्मण सिंह पिता भेरू सिंह,
3. श्री गुलाब सिंह पिता भेरू सिंह,
4. श्री केसर सिंह पिता पहाड सिंह राजपूत उम्र 66 बालिक निवासी अदवास वेलावत तहसील सराडा जिला सलूम्बर,
5 श्री उदयसिंह पिता केसर सिंह,
6 श्री देवी सिंह पिता केसर सिंह,

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री भेरू सिंह पिता किशोर सिंह देवडा(राजपूत),
2. श्री ओनाड सिंह पिता किशोर सिंह देवडा(राजपूत),
3. श्री नवल सिंह पिता किशोर सिंह देवडा(राजपूत) निवासी रोडावत अदवास तहसील सराडा जिला सलूम्बर,

.....अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956

• निर्णय •

दिनांक : 22.05.2024

यह रेफरेंस राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रार्थीगण ग्राम अदवास व बगुरवा तहसील सराडा के निवासी होकर काश्तकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

2– पत्रावली में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा रेफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, प्राथीगण ग्राम अदवास व बगुरवा तहसील सराडा के निवासी होकर काश्तकार है जो ग्राम अदवास से भुतिया तालाब के पास की भूमि के खातेदार होकर अपनी भूमि पर कृषि कार्य कर अपना भरण पोषण करते आ रहे है। प्रार्थीगण अपनी भूमि पर जाने के लिये जिस रास्ते का उपयोग वर्षो से करते आ रहे है। साबिक जमाबन्दी संवत 2015 से 2018 के खाता संख्या 1 पर साबिक आराजी 111 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा किस्म रास्ता अंकित हो कर जमाबन्दी में सरकार के नाम दर्ज थी। साबिक आराजी नम्बर 111 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो कि राजस्व रिकॉर्ड में किस्म रास्ता दर्ज थी मौके पर रास्ता बना हुआ था जिसे संवत 2023 से 2026 में किस्म भूमि रास्ता थी को तहसीलदार सराडा व विपक्षी संख्या 1 से 3 के पिता किशोर सिंह देवडा(राजपूत) को उक्त भूमि 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि विधि विपरीत तहसीलदार द्वारा रास्ते की भूमि का नियमन करने का कानूनी अधिकार नही है। यह कि सेटलमेन्ट के पश्चात साबिक आराजी नम्बर 111 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि के नये नम्बर आरजी नम्बर 111 में से 3 बीघा भूमि का नियमन किया जा चुका था व उसके नम्बर 111/3 रकबा 3 बीघा व शेष भूमि 1 बीघा 10 बिस्वा के नम्बर 111 रहे। इस कारण साबिक नम्बर 111 के नये नम्बर 2820 रकबा 0.2700 हेक्ट., आराजी नम्बर 2821 रकबा 0.0200 हेक्ट., 2822 रकबा 0.3500 हेक्ट. व 2823 रकबा 0.0600 हेक्ट. है भूमि नामान्तरण संख्या 651 से किशोर सिंह पिता नाथू सिंह देवडा(राजपूत) के नाम दर्ज हुई जिसके नये लेकिन साबिक नम्बर 111 के नये नम्बर 2820 बने जो कि रास्ता है उसे भी विपक्षीगण नियमन वाली भूमि मानते हुए मौजा अदवास की आराजी नम्बर 2820 रकबा 0.2700 हेक्ट. भूमि विपक्षीगण की खातेदारी में दर्ज कर दी गई है जो कि वो रास्ते की भूमि है उक्त भूमि तहसीलदार सराडा द्वारा जो गलती की गई है उसे सुधार कराया जाकर मौजा अदवास की हाल आराजी नम्बर 2820 रकबा 0.2700 हेक्ट. भूमि जिसके साबिक नम्बर 111 थे को पुनः रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराया जावे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नियमानुसार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

कार्यवाही कर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर भेजने का निवेदन किया।

3— प्रकरण की जांच कराने हेतु तहसीलदार सराडा से जांच रिपोर्ट प्राप्त कर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरीये नोटिस तलब किया गया बाद तामिल प्राप्त हुई। विपक्षीगण उपस्थित हुए विपक्षी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जवाब हेतु अवसर भी नही चाहा गया एवं न ही बहस हेतु निवेदन किया गया इस पर विपक्षी का जवाब बन्द किया गया।

4— इस संबंध में तहसीलदार सराडा से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई तो जाहिर हुआ कि मौजा अदवास के साबिक आराजी नम्बर 111 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा के हाल आराजी नम्बर 2820 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2821 रकबा 0.0200 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2822 रकबा 0.3500 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 2823 रकबा 0.0600 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2771 रकबा 0.2600 हेक्टेयर है जिस में सें हाल आराजी नम्बर 2820 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2821 रकबा 0.0200 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2822 रकबा 0.3500 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 2823 रकबा 0.0600 हेक्टेयर, कुल किता 4 रकबा 0.7000 हेक्टेयर भूमि जमाबन्दी संवत 2075—78 में खाता संख्या 711 खातेदार श्री ओनाड सिंह, नवल सिंह, भेरू सिंह पिता किशोर सिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज है तथा वर्तमान में उक्त खातेदार काबिल काश्त है तथा आराजी नम्बर 2771 रकबा 0.2600 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म रास्ता सरकार दर्ज होकर डामरीकृत सडक रास्ता बनी हुई है।

5— पत्रावली का अवलोकन किया गया, चिंतन—मनन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि प्रासंगिक भूमि उदयपुर मेवाड संवत 1989 सन् 1933 ई. नक्शा किश्तवार, जमाबन्दी संवत 1990 एवं जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 के खाता संख्या 1 पर साबिक आराजी नम्बर 111 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा किस्म रास्ता दर्ज थी, एवं जो विपक्षी के नाम से तहसीलदार सराडा के नियमन आदेश जरिये पत्रावली संख्या 1166 दिनांक 25.04.1969 के नियमन पट्टे के अनुसार नामान्तकरण संख्या 651 दिनांक 26.08.1969 से साबिक आराजी नम्बर

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

111/3 रकबा 3 बिघा दर्ज हैं। मौजा अदवास के वर्तमान आराजी नम्बर 2820 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, 2821 रकबा 0.0200 हेक्टेयर, 2822 रकबा 0.3500 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 2823 रकबा 0.0600 हेक्टेयर श्री ओनाड सिंह, नवल सिंह, भेरू सिंह पिता किशोर सिह जाति राजपूत के नाम राजस्व रिकॉर्ड संवत 2075–2078 में दर्ज रेकॉर्ड है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित हैं एवं माननीय उच्च न्यायालय डी.बी. सिविल जनहीत याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार 02.08.04 के अनुसार जो भुमि 15.08.47 को राजस्व रेकार्ड में दर्ज है को वापस रास्ता भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित करने के निर्देश हैं। प्रकरण में राज्य हित एवं सार्वजनिक हित निहित है उक्त भूमि का रास्ता दर्ज होने से काश्तकारो को अपने खेतो में जाना सुलभ रहेगा। उस अनुसार उक्त भूमि पुनः राजस्व अभिलेख में राजस्थान सरकार (बिलानाम गैर काबिल काश्त) के नाम दर्ज कर किस्म रास्ता दर्ज किये जाने हेतु अनुशंषा की जाती है।

6– अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू.राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर मौजा अदवास की साबिक आराजी नम्बर 111 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से जो विपक्षीगण के नाम दर्ज वर्तमान आराजी नम्बर नम्बर 2820 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, 2821 रकबा 0.0200 हेक्टेयर, 2822 रकबा 0.3500 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 2823 रकबा 0.0600 हेक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.7000 हेक्टेयर भूमि खारीज की जाकर पुनः राजस्थान सरकार(बिलानाम गैर काबिल काश्त) के नाम दर्ज कर किस्म रास्ता दर्ज करने हेतु माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। तहसीलदार सराडा उक्त रेफरेन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत करे। मूल पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार सराडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर,
सलूम्बर